

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा चूरु

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविरा /माध्य/साप्र/बी-3/कनि0सहा-2024/2025/ई-44754 दिनांक 12.10.2025 (राज. रेफरेंस-18280745) के अनुरोध में निदेशालय स्तर से कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, जयपुर द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया गया। जिला आवंटन पश्चात् पदस्थापन हेतु चयनित आशार्थियों की दिनांक 16.10.2025 को आयोजित परामर्श शिविरमें अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधोनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानानुसार लिपिक ग्रेड-।। (कनिष्ठ सहायक) के पद पर वेतन शृंखला रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स लेवल (वेतन लेवल-5) में, नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/- (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे -

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपने से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरण की रिपोर्ट जानबुझकर प्रस्तुत नहीं करता है या झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत करता है तो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है तो इस बारे में सम्बन्धित आशार्थी पूर्णतया जिम्मेदार होगा तथा उचित कार्यवाही की जावेगी। (सम्बन्धित संस्थाप्रधान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्राप्त कर कार्यग्रहण करावें।)
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Santosh Kumar Maharshi
Designation : District Education Officer
Date: 2025.10.16 15:51:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18396445
eSign 1.0



6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:प. 7(13)कार्मिक / क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान क प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।
8. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि, यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी करावे।
16. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजावाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजावाये।

Signature valid

RajKaj Ref No.:
18396445
eSign 1.0

Digitally signed by Santosh Kumar
Maharshi
Designation : District Education Officer
Date: 2025.10.16 16:51:29 IST
Reason: Approved

17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल, आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
18. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
19. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50 रु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
20. कार्यग्रहण से पूर्व विवाहित आशार्थी से विवाह पंजीयन की प्रति प्राप्त करें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 06.11.2025 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

नोट:- क.स. 6 एवं 14 पर अंकित अभ्यर्थी ने इस कार्यालय में आयोजित परामर्श कैम्प में अनुपस्थित रहे हैं। सम्बन्धित संस्थाप्रधान क.स. 6 एवं 14 पर अंकित अभ्यर्थियों को इस कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करावें।

संलग्न- आदेश सं. 01

(सन्तोष कुमार महर्षि)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, चूरू

क्रमांक : जिशिअ/मा/चूरू/संस्था-3/फा.नियु.लिपिक ग्रेड-II/सीधी भर्ती-24/2025 दिनांक यथाहस्ताक्षर
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग चूरू।
8. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, चूरू।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक चूरू।
10. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला चूरू।
11. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान।
12. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
13. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, चूरू

Signature valid

Digitally signed by Santosh Kumar
Maharshi
Designation : District Education Officer
Date: 2025.10.16 13:51:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18396445
eSign 1.0

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चूरु

कर्मक-जि.शिक्षा/मुख्या/संस्था-3/चूरु/क.शे.सं.सं./2025/

दिनांक-16.10.2025

कर्मक-संस्था-3/चूरु/क.शे.सं.सं./2025/ के पदस्थापन आदेश संख्या: 01

SN	NTSP/ TSP	APPNO	ROLLNO	RANK	NAME	FNAME	DOB	CAT	H CAT	GENDER	SEL CAT	Address	SELECTED SCHOOL NAME	Block	PHOTO
1	NTSP	202433317134	420130	1607	KALIKA	RAMNARAYAN MUHAL	01-10-2000	OBC		FEMALE	GEN_A	Village- Lohasana bara ward no 6 Tehsil & District Churu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAHIJUSAR (215388)(08040404805)	CHURU	
2	NTSP	202433305053	416987	1682	ANJU CHHIMPA	RAJKUMAR CHHIMPA	17-11-2002	OBC		FEMALE	GEN_A	VPO Buchawas Tehsil Taranagar, Churu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAJUWAS (215186)(08040116303)	TARANAGAR	
3	NTSP	202433554317	414598	5389	ABHILASHA	NIHAL SINGH	28-10-2002	SC		FEMALE	SC_A	VPO Dhani bari ward no 04 Tehsil Sidhmukh, Churu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHIGARLA (215200)(08040202603)	SDHVIKH	
4	NTSP	202433400342	415791	646	ANKIT SANGWAN	RAJKARAN	21-07-2000	OBC		MALE	GEN_A	Village - Hemeerwas bara, thana - hamirwas Tehsil rajgarh, churu	P.M SHRI SHANTI DHAR SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HAV. RWAS (215242)(08040213405)	RAIGARH	
5	NTSP	202432456925	420658	861	SHAHJAD KHAN	JANHAGIR KHAN	08-12-1996	OBC		MALE	GEN_A	Khan Colony ward no 31 Tehsil Ratangarh, churu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NDSAR A (215597)(08040804042)	RATANGARH	
6	NTSP	202433143050	419482	876	SAMEER KURESHI	MAINUDDIN KURESHI	09-12-2001	OBC		MALE	GEN_A	Gigaji ka kuwa ward no 20 Tehsil Ratangarh, Churu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VALAKSAR (215289)(08040303502)	SARDARS-A-AR	
7	NTSP	202433239014	419491	1053	KRISHAN MURARI JOSHI	PAWAN KUMAR JOSHI	13-05-2003	EWS		MALE	GEN_A	Village- Patamdesar Post Gharsisar Tehsil Sardarsahar, Churu	GOVT. GR.3 SENIOR SECONDARY SC-CC-BAJD-VAD-VAV B-AG (276983)(08040303304)	SARDARS-A-AR	
8	NTSP	202433004692	416088	1190	HARMANARA M DHAKA	AMARARAM DHAKA	01-07-2001	OBC		MALE	GEN_A	Village- Likhamsar Post Mundra, Tehsil Sujangarh, Churu	GOVT. SENIOR SECONDARY SC-CC-BAJD-SARA A-T-VVA (215494)(08040511002)	SARANGARH	

Signature valid

Digitally signed by Santosh Kumar Maharshi
Designation : District Education Officer
Date: 2025.10.16 13:51:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18396445

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरु

क्रमांक : जिशिअ/मुख्या./माध्य/चूरु/संस्था-3/सीधी भर्ती-2024/2025

दिनांक-16.10.2025

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला-चूरु।

विषय:- कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पत्रांक शिविरा /माध्य/
साप्र/बी-3/कनि.सहा.-2024/2025/ई-44754 दिनांक 12.10.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अपने कार्यालय के वाहक को निर्देशित कर दिनांक 17.10.2025 को उक्त मूल आवेदन पत्र प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें।



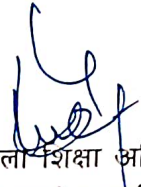
(संतोष कुमार महर्षि)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, चूरु

दिनांक-16.10.2025

क्रमांक : जिशिअ/मुख्या./माध्य/चूरु/संस्था-3/सीधी भर्ती-2024/2025

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
1. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु।
2. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, चूरु।
3. सम्बन्धित कार्मिक श्री
4. कार्यालय प्रति।



जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, चूरु